न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2020
जी.सी.एम.एस नम्बर –2020/00002

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती रेती कवंर पत्नी श्री धर्मीचंद खारवाल जाति ओसवाल जैन निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली		1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लादुराम जाति ओसवाल जैन निवासी अटपडा तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत अटपडा पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली 3. सचिव ग्राम पंचायत अटपडा पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांकः 7.2.24

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत अटपडा द्वारा मिसल संख्या 169/2017–18 संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.06.2017 एवं उसकी अनुपालना में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। ।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का रहवासीय मकान मुथो का बास, ग्राम अटबड़ा में आया हुआ है जिसके पडौस उत्तर में प्रार्थिया के मकान का दरवाजा एवं आम रास्ता दक्षिण में खालसा गली व गणेश ओगडराम पिसरान मोतीराम सीरवी का मकान, पुर्व में मकान का त्रिकोण नुमा खुली जगह व आगे ओगडराम पिसरान मोतीराम का मकान एवं पश्चिम में लक्ष्मीचंद पुत्र श्री घीसुलाल मुथा का मकान आया हुआ है। उक्त मकान का पट्टा सख्या 40/48–49 मिसल संख्या 67/48–49 दिनांक 28.04.1949 को जोधपुर दरबार द्वारा जारी किया हुआ है, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थिया के पति धर्मीचंद पुत्र चम्पालाल निवासी कुशालपुरा के पक्ष में आममुख्तियार दिनांक 08.03.2007 को लिखवाकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर तहरीर व तकमील कर दिया गया एंव लादुराम के पुत्रिया एंव अप्रार्थी संख्या 01 की बहनें कौशल्यादेवी, शोभादेवी, चद्रादेवी उर्फ चुकियादेवी पिसरान लादुराम ने भी दिनांक 30.10.2012 को रजिस्टर्ड आममुख्तियार प्रार्थिया के पति के पक्ष में निष्पादित कर तहरीर व तकमील करवा दिया। उक्त मकान के बेचान की ऐवज मे सम्पुर्ण राशि प्रार्थिया द्वारा आममुख्तियार प्रदतकर्ता को दे देने के पश्चात कब्जा प्रार्थिया के पति धर्मीचंद को दे दिया था। उक्त आममुख्तियार के आधार पर उक्त मकान का बैचान हस्तान्तररण एवं बेचान रजिस्ट्री पंजीयन करवाने हेतु धर्मीचंद को अधिकृत किया हुआ था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी सख्या 01 को भलीभांति थी। प्रार्थिया अपने पति के साथ व्यापार के सिलसिले से कोयम्बटुर निवास करती थी। जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सख्या 01 ने प्रार्थिया को जानकारी में दिये बिना ही ग्राम पंचायत अटबडा में आवेदन कर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत अटबडा में प्रस्तुत आवेदन में किस दिन आवेदन पेश किया कोई दिनांक अंकित नही है। आवेदन पर पत्र यह भी अंकित किया कि उक्त मकान को पुर्व में किसी बेचान बक्शीस, वसीयत दान किया हुआ नही है न ही किसी प्रकार का ऋण लिया हुआ है। जबकि जैर निगरानी आराजी का बैचान दिनांक 08.03.2007 को आममुख्तीयार से निष्पादित करवा दिया था। जैर निगरानी पटटे के संबध में मिसल संख्या 169/2017–18 दिनांक 14.04.2017 को दायर कर कार्यवाही प्रक्रिया को देखने से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही एक दिन में ही कीगई एवं प्रिन्टनुमा प्रफोर्मा में बिना जांच किये विधिक प्रक्रिया को अपनाये हुए की गई है। जैर

अति. जिला कलक्टर, पाली

निगरानी पट्टे सम्बधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सरकार के द्वारा जारी पट्टा आवंटन योजना अभियान 2017 के तहत की गई है, जबकि जैर निगरानी आराजी का पुर्व में पट्टा जारी हो चुका है जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 को थी फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से मिली भगत कर बाले बाले पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत अटपडा द्वारा मिसल संख्या 169/2017–18 संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.06.2017 एवं उसकी अनुपालना में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजेन्द्र कुमार ने अपने आवासीय मकान का पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सन्दर्भ में 120 रूपये (20 रूपये आवेदन शुल्क, 50 रूपये निरीक्षण शुल्क एवं 50 रूपये नक्शा शुल्क) ग्राम पंचायत के राजकोष में जमा करवाये एवं जैर निगरानी मिसल संख्या 169/2017–18 दिनांक 14.04.2017 खोली गयी। दिनांक 05.05.2017 को मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर पेश करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 22.05.2017 को ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड पंचों की निरीक्षण कमेटी द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा बनाया गया मौका नक्शा पेश किया गया जिसके आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लेते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने के लिए 7 दिवस का नोटिस जारी करने एवं नोटिस अवधि के बाद प्रमाण स्वरूप दो गवाह के साथ आगामी बैठक में मिसल पुनः पेश करने के आदेश जारी किये गये। जिसकी पालना में नोटिस जारी कर चस्पा किये जिस पर दो मौतबिरान के हस्ताक्षर है दिनांक 05.06.2017 को बैठक में मिसल पेश की गई जिसमें नोटिस अवधि बीत जाने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने एवं दो स्वतंत्र गवाहो के बयानों के आधार पर अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पर जिस पर अप्रार्थी का 40 वर्षो से कब्जा है जिसका कुल क्षैत्रफल 172 वर्ग फुट है उसका पंचायती राज अधिनियम 1956 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 19 दिनांक 15.06.2017 जारी किया गया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं मुल पट्टे के अवलोकन के आधार पर जैर निगरानी पट्टे का दिनांक 05.03.2018 प्रस्ताव संख्या 07 द्वारा नवीनीकरण भी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा का दिनांक 14.03.2018 को उपपंजीयन कार्यालय सोजत में पंजीयन किया हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अवगत करवाया की जैर निगरानी के सन्दर्भ में जोधपुर दरबार द्वारा मिसल संख्या 67/48–49 दिनांक 28.04.1949 की पालना में पट्टा संख्या 40/48–49 जारी किया हुआ है लेकिन पत्रावली में पट्टे के सम्बध में किसी प्रकार के दस्तावेज यथा पट्टा प्रति या मिसल प्रति पेश नही की है, जिससे पट्टे की प्रमाणिकता का परीक्षण नही किया जा सकता है। जंहा तक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को पति को जैर निगरानी पट्टे की भूमि आममुख्तियार के आधार पर बेचान का प्रश्न है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार पट्टा जारी करने में हुई सही प्रकिया व पालना को देखा जाना है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा मिसल संख्या 169/2017–18, संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.06.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 15.06.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ ग्राम पंचायत अटबडा का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,पाली